

प्रेस विज्ञप्तिथानाजीयनपुर -सरकारी कार्य में बाधा डालने वाला व जानमाल की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.04. को लेखपाल श्री विपिन सिंह पुत्र अशोक सिंह लेखपाल ग्राम अशरफपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार 2021 कि अभियुक्त द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालना व जान माल की धमकी देना तथा मोबाईल तोड़ देने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0स0अ0- 113/ -धारा 21353/504/506/427 भादवि थाना जीयनपुर जनपदआजमगढ़ पंजीकृत किया गया। -

उ 0नि0अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह के थाना हाजा से खाना होकर पंचायत चुनाव के मद्देनजर भ्रमण करते हुए मु/113 0सं0अ02021 धारा 353/504/506/भादवि 427 में वांछित अभियुक्त की तलाश गिरफ्तारी हेतु मामूर थ/े कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल सलाम पुत्र कामिल सा अशरफपुर अशरफपुर मोड 0 पर खड़ा है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम मय मुखबिर के अशरफपुर मोड से थोड़ा पहले पहुँचकर गाड़ी को खड़ा किये , जहाँ पर मुखबिर खास द्वारा इशारे से मोड पर खड़े व्यक्ति के तरफ इशारा कर हटबढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अब्दुल सलाम पुत्र कामिल सा अशरफपुर थाना जीयनपुर 0 आजमगढ़ उम्र 58 वर्ष जिनको कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अब्दुल सलाम पुत्र कामिल सा अशरफपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 0

पंजीकृत अभियोग-

मु0स0अ0- 113/ -धारा 21353/504/506/427 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0स0अ0- 113/ -धारा 21353/504/506/427 भादवि

2. मु101 – 0स0अ0/ -धारा 98147/148/149/302/307 भादवि

3. मु0स0अ0- 16/ -धारा 87498ए/302/201 भादवि

4. मु0स0अ0- 27/ -धारा 88143/447/448 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1 .उ 0नि0अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़-

2 .का 0सुमित राव आजमगढ़-थाना जीयनपुर जनपद,

3 .रि आजमगढ़-जितेन्द्र यादव थाना जीयनपुर जनपद 0का0

4 .म आजमगढ़-सीमा गुप्ता थाना जीयनपुर जनपद 0का0

5. म आजमगढ़-बन्दिना गौतम थाना जीयनपुर जनपद 0का0

थानाजीयनपुर -02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक मय हमराह के थाना हाजा से खाना होकर पंचायत चुनाव के मद्देनजर भ्रमण करते हुए मु/115 0सं0अ02021 धारा 3(1)उ एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 0गै 0प्र0की तलाश गिरफ्तारी हेतु मामूर थ/े कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण फिरोज व सरफराज मंगरुगंज बाजार में कहीं भागने की फिराक में खड़े हैं इस सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक मय हमराह कर्म गण मय 0बोलेरो सरकारी के मय मुखबिर के मंगरुगंज बाजार से थोड़ा पहले पहुँचकर गाड़ी को खड़ा किये जहाँ पर मुखबिर खास द्वारा इशारे से तिराहा के पास स्थित गुमटी के बगल में खड़े दोनो व्यक्ति को दिखाकर की यही वह अभियुक्तगण हैं। हटबढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेरकर उक्त व्यक्तियों को पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्तियों से बारी बारी नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम फिरोज पुत्र मुईन सा 40 देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 0 वर्ष दूसरे ने सरफराज पुत्र फिरोज सा देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ़ 0 उम्र 19 वर्ष बताया जिनको कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 08.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. फिरोज पुत्र मुईन सा आजमगढ-देवापार थाना जीयनपुर जनपद 0(डी-66 गैंग का सदस्य)
2. सरफराज पुत्र फिरोज सा आजमगढ-देवापार थाना जीयनपुर जनपद 0

पंजीकृत अभियोग-

मु0स0अ0- 115/ -धारा 213)1 गैगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ .पी.यू (

आपराधिक इतिहास अभि -0

फिरोज पुत्र मुईन सा देवापार थान जीयनपुर आजमगढ 0(डी-66 गैंग का सदस्य)

1. मु0अ0सं0 135/18 धारा 379 भादवि0
2. मु0अ0सं0 253/19धारा3/5/8 गोवध नि0 अधि0
3. मु0अ0स0- 135/20 धारा- 3(1) यू.पी गैगस्टर एक्ट
4. मु0अ0स0- 413/20 धारा- 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0
5. मु0अ0स0- 411/21 धारा- 307 भादवि
6. मु0अ0स0- 416/20 धारा- 4/25 आर्मस एक्ट
7. मु0अ0स0- 115/21 धारा- 3(1) यू.पी गैगस्टर एक्ट

अपराधिक इतिहास

सरफराज पुत्र फिरोज सा देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ 0

1. मु0अ0स0- 413/20 धारा- 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0
2. मु0अ20स0- 411/21 धारा- 307 भादवि
3. मु0अ0स0- 415/20 धारा- 3/25 आर्मस एक्ट
4. मु0अ0स0- 115/21 धारा- 3(1) यू.पी गैगस्टर एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SHO हिमेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ-
2. का आजमगढ-शैलेन्द्र थाना जीयनपुर जनपद 0
3. का अंकुर सिं 0ह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ-
4. का अंकित सिंह 0थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ-
5. म0का 0प्रिति सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ-
6. म 0आ0जागृति तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ-

**थाना बरदह -**

सोनहरा हत्याकाण्ड का वांछित अभियुक्त 01 अदद देशी तमन्चा बोर 315 व अदद 01 जिन्दा कारतूस बोर 315 के साथ गिरफ्तार  
दिनांक 9.04.को 2021 प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह कर्म गण क0े थाना हाजा से देखभाल क्षेत्र शांति ब्यवस्था सुरक्षा तथा चेकिंग संदिग्ध ब्यक्ति वाहन तथा पेंडिंग अभियोगो की विवेचना तथा थाना हाजा के मु 69 0सं0अ0/147 धारा 2021,323,504,34, 302IPC व 7CLA Act से सम्बन्धित अभियुक्त अमित कुमार की गिरफ्तारी हेतु थाना हाजा से रवाना होकर थाना क्षेत्र में मामूर थे। रात्रिगस्त व कार्य सरकार करते हुए बरखशपुर मुक्तिपुर होते हुए ए मौजा नेवादा से महुजा मोड़ जा रहा थे कि महुजा नेवादा मन्दिर के पास मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि जिस सोनहरा हत्याकाण्ड के अभियुक्त अमित कुमार की तलाश कर रहे है वह कही जाने की फिराक में है सवारी का इन्तेजार कर रहा है। महुजा मोड़ पर खड़ा है। उसके पास अस्लाह भी है। सूचना पर विश्वास कर महुजा मोड़ से थोड़ा पहले मुखबिर ने इशारा किया कि सामने जो ब्यक्ति खड़ा है वही अमित है। मुखबिर बताकर चला गया। तब प्रभारी निरी मय फोर्स के गाड़ी से तेजी से आगे बढ़ 0े कि सामने खड़ा ब्यक्ति तेजी से बेलवाना वाले कच्चे रोड से भागा जिसे घेरकर दौड़ाकर लगभग मीटर क 100ी दूरी पर कच्चे रास्ते पर हमराह फोर्स के सहयोग से समय करीब 06. बजे पकड़ लिया। पकड़े 15 ग्राम सोनहरा थाना बरदह 0 ब्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम अमित कुमार यादव पुत्र रणविजय यादव नि आजमगढ बताया जिसकी जामा तलाशी से अदद देशी तमन्चा बोर 315 व से नाजायज तमन्चा 0बोर बरामद हुआ। अभि 315 जिन्दा 0अदद कार 01 0सं0अ0थाना हाजा के मु 0 रखने का कारण पूछा गया एवं लाईसेन्स तलब किया तो माफी मागते हुए रखने का लाईसेन्स नहीं दिखा सका। अभि 0कार- 69/147 धारा 2021,323,504,34, 7 व 0वि0द0भा 302CLA Act का नामजद एवं वांछित अभियुक्त है। अभि 3 को उसके जुर्म धारा 0/ शस्त्र 25 147 तथा पूर्व से वांछित धारा 0अधि,323,504,34, 7 व 0वि0द0भा 302CLA Act बताकर हिरासत पुलिस में लिया। माल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु 0सं0अ0मु78 0सं0अ0/3 धारा 21/ आर्मस एक्ट 25पंजीकृत किया गया है।

## गिरफ्तार अभियुक्त-

अमित कुमार यादव पुत्र रणविजय यादव ग्राम सोनहरा थाना बरदह

## बरामदगी-

एक अदद तमंचा बोर 315 अदद जिन्दा कारतूस01 बोर मय 315

## पंजीकृत अभियोग-

1. मु69 0सं0अ0/ -धारा 21147/323/504/302/34 भादवि व धारा सीएलए एक्ट 7

2. मु78 0सं0अ0/3 धारा 21/ आर्म्स एक्ट 25

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO श्रीविनोद कुमार मय हमराह का आरक्षी कविता मेहरोत्रा 0महि , प्रदीप कुमार गुप्ता 0का , सुरेन्द्र शर्मा 0का0हे , आनन्द चौरसिया 0

## थानागम्भीरपुर-

### एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टीगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टीगत, अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्र0नि गम्भीरपुर ज्ञानू 0 प्रियामय हमराह के मु0अ0स0-37 /376 धारा 21,506,0बी भा 120द0वि 0व 3(2)(5)sc/st एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त समौता देवी की गिरफ्तारी हेतु ग्राम खराटी में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि समौता देवी उपरोक्त अपने ग्राम जमालपुर में अपने घर पर मौजूद है । अतः महिला आरक्षी के साथ ग्राम जमालपुर अभियुक्त के घर पहुंच कर समौता देवी को हिरासत पुलिस लिया गया। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर महिला आरक्षी गरिमा सिंह के साथ आज दिनांक 09.04.05 को समय 2021.ब 55जे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा 0न्यायालय किया जा रहा है ।

## गिरफ्तार अभियुक्त

समौता देवी पत्नी स्वबृजलाल निवासी जमालपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़ 0

## पंजीकृत अभियोग

मु .स.अ.27/21 धारा 376/506/3 बी भादवि व120(2)एसटी एक्ट थाना गंभीरपुर आजमगढ़/एससी 5

## गिरफ्तार करने वाली टीम

1. ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि 0शेष नरायण सिंह थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़
3. म0का0 गरिमा सिंह थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़

## थाना मुबारकपुर

### 01 नजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र के

नेतृत्व में थाना मुबारपुर पर अलग –अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधीयो की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर सन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबीर खास की सूचना प्राप्त हुआ जिसके क्रम में -

प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जिसके पास नाजायज चाकू है लाल चौक पुरानी बस्ती के पास खड़ा है, हो सकता है कि किसी बड़ी घटना के फिराक में है कि पुलिस टीम तत्परता से लाल चौक पुरानी बस्ती के पास पहुंच कर सन्दिग्ध व्यक्ति को समय 13.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया है जिसकी जामा तलाशी से 1 अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. अबु सहमा पुत्र अब्दुल बसी निवासी इस्लामपुरा कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### बरामदगी –

एक अदद नाजायज चाकू

### पंजीकृत अभियोग का विवरण—

मु0अ0सं0 73/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. कमलनयन दुबे, चौ.प्र. कस्बा मुबारकपुर थाना कोतवाली, आजमगढ़
2. हे0का0 रविन्द्र कुमार सिंह, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
3. का0 दिग्विजय पाल, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

### थाना-रानी की सराय

### एक नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अग्रिम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान शराब विक्री की रोकथाम व वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में दिनांक 09.04.2021 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराही द्वारा मु0न0 3729 /19 धारा 415/379/427/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त मंशा यादव पुत्र लोदई यादव ग्राम कोठिया थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ सम्बंधित को उसके घर से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### थाना- रानी की सराय

### एक नफर वारंटी गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत ब0उ0नि0 उदय राज यादव मय हमराह कां0 अमित पाल व कां0 राकेश कुमार पाल के वारंटी अभियुक्त बेदप्रकाश उर्फ राजू पुत्र चन्द्रशेखर श्रीवास्तव ग्राम दाउदपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ सम्बंधित मु0न0 3964 /19 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 को वारंटी के घर से समय करीब 14.25 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

## थाना कन्धरापुर

### 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर के कुशल निर्देशन में दि 09 0.04.2021 को उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह हे 0का0 पंकज कुमार सिंह, हे0का0 नागेन्द्र प्रताप सिंह तथा का 0 अरविन्द कुमार के 01 नफर वारन्टी नागेन्द्र गुप्ता पुत्र तेरसी गुप्ता उम्र 40 वर्ष सा0 आजमपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ उम्र करीब 40वर्ष को NBW मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 कोर्ट न0 10 सम्बन्धित मु0न0 3996/2018 धारा 147/323/336/427 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ मे समय 06. बजे गिरफ्तार कर 05चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।